विविध बैंक प्रकरण सं. 44/2021 (RCMS 2021/135) पंजाब नेशनल बैंक – प्रो. निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री लीलाधर पुत्र श्री काशीराम (प्रो. मैसर्स भेरू वेयर हाउस) C/o प्लॉट नं 12, महादेव एंक्लेव,, चक 12 एमओडी, कैंचिया पदमपुर रोड, हनुमानगढ – 335802 (राज.) **2. श्री भजन लाल पुत्र श्री हरूप राम** निवासी गांव 50 एलएनपी, कैंचियाँ पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर (राज.) 3. **श्री खेत सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह** निवासी नेतेवाला , नजदीक इफ्फको सोसाइटी, श्रीगंगानगर (राज.)

22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण लीलाधर–प्रो. मैसर्स भेरू वेयर हाउस, भजन लाल एवं खेत सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 1.40/– करोड़ रूपये (Rs. 1,20,00,000/- Term Loan and Rs. 20,00,000 -GECL Total 1,40,00,000/-) (अखरे रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 15.10.2019 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी लीलाधर द्वारा अपनी संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पति (वेयर हाउस) स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 16 से 20 (क्षेत्रफल 5995 वर्गमीटर) चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण से ऋण खाता दिनांक 19.05.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 20.05.2021 को 1,45,79,025/–रूपये ऋण राशि व

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 20.05.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी लीलाधर **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई** संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पति (वेयर हाउस) स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 16 से 20 (क्षेत्रफल 5995 वर्गमीटर) चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** लीलाधर–प्रो. मैसर्स भेरू वेयर हाउस, भजन लाल एवं खेत सिंह को में 1.40/– करोड़ रूपये (Rs. 1,20,00,000/- Term Loan and Rs. 20,00,000 -GECL Total 1,40,00,000/-) (अखरे रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 15.10.2019 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी लीलाधर ने संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पति (वेयर हाउस) स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 16 से 20 (क्षेत्रफल 5995 वर्गमीटर) चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **10.05.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.05.2021 को जारी कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.05.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी ऋणी लीलाधर की संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पति (वेयर हाउस) स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 16 से 20 (क्षेत्रफल 5995 वर्गमीटर) चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का सम्बन्ध है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.05.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.05.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण लीलाधर–प्रो. मैसर्स भेरू वेयर हाउस, [illegible] को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.05.2021 को भि[illegible] उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के [illegible] पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही अप्रार्थी ऋणी के शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी लीलाधर की संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पति (वेयर हाउस) स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 16 से 20 (क्षेत्रफल 5995 वर्गमीटर) चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई लीलाधर की संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पति (वेयर हाउस) स्थित पत्थर नं. 42/275, किल्ला नं. 16 से 20 (क्षेत्रफल 5995 वर्गमीटर) चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:31 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर